न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 154/2026

सत्यपाल शर्मा पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी महतावास, तहसील मंधान, जिला कोटपुतली, बहरोड, राज0 मो0न0 9461374746

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी।

––

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक **27.04.2026**

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 07.04.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 154/2026 पर दिनांक 07.04.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/1043–1044 दिनांक 07.04.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी ने पत्रांक आरटीआई/2026/08 दिनांक 04.03.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदक का आवेदन पत्र श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर), झुंझुनूं के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/2026/80 दिनांक 16.02.2026 से अन्तरित होकर दिनांक 16.02.2026 को इस कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसके संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू0अ0अधि0(05)2026/77–78 दिनांक 10.03.2026 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे लेख है कि आप किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय की भू अभिलेख शाखा मे उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप मे नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपेक्षित रिकार्ड की नकल प्राप्त कर सकते है। आवेदक को निर्धारित समयावधि मे जबाब प्रेषित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) खेतडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत आवेदक का आवेदन पत्र श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर), झुंझुनूं के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/2026/80 दिनांक 16.02.2026 से अन्तरित होकर दिनांक 16.02.2026 को उनके कार्यालय मे प्राप्त हुआ जिसके संबंध मे उनके कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू0अ0अधि0(05)2026/77–78 दिनांक 10.03.2026 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि आप द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे लेख है कि आप किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय की भू अभिलेख शाखा मे उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप मे नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपेक्षित रिकार्ड की नकल प्राप्त कर सकते है। चूंकि अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है कि वह किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय की भू अभिलेख शाखा मे उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप मे नकल आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपेक्षित रिकार्ड की नकल प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं